RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जनवरी
06
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

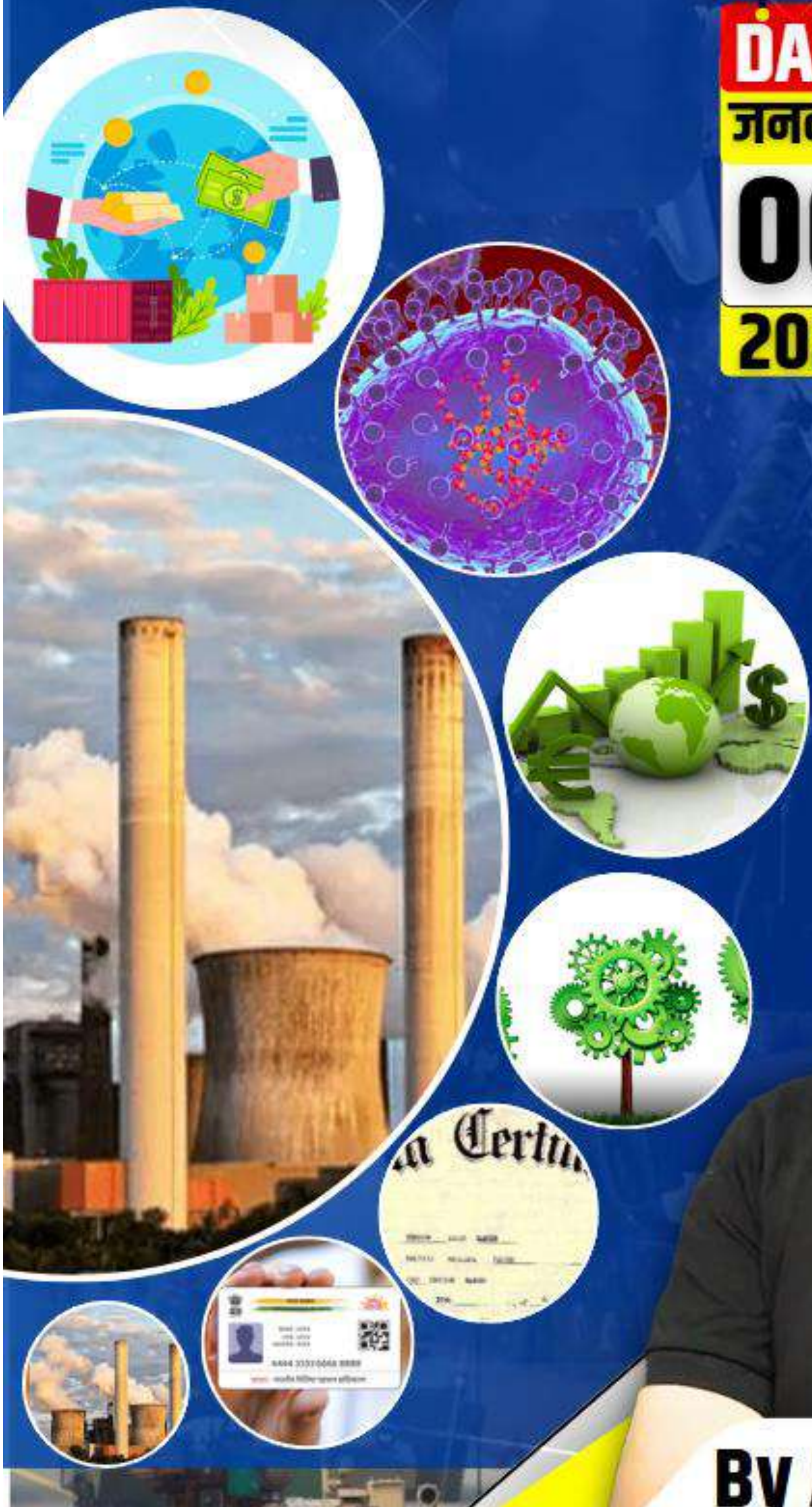

By Ankit Avasthi Sir

विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन / Amendments to the Foreign Trade Policy, 2023

संदर्भ:

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने **विदेश व्यापार नीति 2023** में संशोधन करते हुए नीतियों को बनाने या संशोधित करने से पहले अनिवार्य रूप से हितधारकों से परामर्श करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है। यह संशोधन **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992** के तहत किया गया है।

विदेश व्यापार नीति 2023 क्या है?

विदेश व्यापार नीति 2023 एक नीतिगत दस्तावेज़ है जो समय-परखी गई योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। यह निर्यात को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है।

उद्देश्य:

1. **प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और प्रक्रियाओं को स्वचालित करना:**
   - निर्यातकों के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान और तेज़ बनाना।
2. **2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना:**
   - निर्यात में वृद्धि और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

नीति के प्रमुख आधार (4 स्तंभ):

- **प्रोत्साहन से छूट (Incentive to Remission):**
  व्यापारियों को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उनकी कर-छूट की प्रक्रिया को आसान बनाना।
- **सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन:**
  निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर निर्यात को बढ़ावा देना।
- **व्यापार में सुगमता (Ease of Doing Business):**
  लेन-देन लागत को कम करना, ई-प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

उभरते क्षेत्र (Emerging Areas):

- ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना।
- जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना।
- SCOMET नीति को सुव्यवस्थित करना।

विदेश व्यापार नीति 2023 में प्रमुख संशोधन:

1. **अनिवार्य हितधारक परामर्श (Mandatory Stakeholder Consultation):**
   - संशोधनों में आयातकों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों जैसे हितधारकों के साथ अनिवार्य परामर्श के लिए कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
   - प्रस्तावित नीतियों या संशोधनों पर हितधारकों से उनके विचार, सुझाव, टिप्पणियां और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
2. **प्रतिक्रिया मान्यता तंत्र (Mechanism for Feedback Acknowledgment):**
   - ऐसे तंत्र की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से हितधारकों को यह सूचित किया जाएगा कि उनके सुझाव क्यों स्वीकार नहीं किए गए, यदि उन्हें अंतिम नीति में शामिल नहीं किया गया है।
3. **असाधारण मामलों में विशेष अधिकार (Reserved Rights for Exceptional Cases):**
   - परामर्श अनिवार्य होने के बावजूद, सरकार आकस्मिक स्थितियों में स्व-प्रेरणा (suo moto) से निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
   - यह लचीलापन और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

संशोधनों का महत्व

1. **भागीदारी में वृद्धि (Enhanced Participation):**
   - आयात, निर्यात और माल के ट्रांजिट से संबंधित नीतियों को तैयार करने में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
   - हितधारकों को नीतियों पर टिप्पणी करने और निर्णय प्रक्रिया में योगदान देने का उचित अवसर प्रदान करना।
2. **पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment to Transparency):**
   - परामर्श को अनिवार्य बनाकर और प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करके, सरकार नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
3. **व्यापार में सुगमता (Ease of Doing Business - EoDB):**
   - इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में व्यापार को आसान बनाना है।
   - प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यापार नीतियों में उद्योग की प्रतिक्रिया को शामिल करना।

एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी / Private Sector Participation in Nuclear Power

संदर्भ:

भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र "एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962" के तहत संचालित होता है। इस कानून के अनुसार, केवल सरकारी संस्थाएं, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति कर सकती हैं। अभी तक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं है।

परिचय:

1. **परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकेंद्रीकरण:**
   - यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का पहला औपचारिक कदम है।
   - इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।
2. **भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) के प्रस्ताव:**
   - 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
   - ये रिएक्टर कैप्टिव उपयोग (औद्योगिक और आंतरिक आवश्यकताओं) के लिए बनाए जाएंगे।
   - BSR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) हैं, जो अपनी बेहतरीन सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं।
3. **डिकार्बोनाइजेशन में योगदान:**
   - BSR कठिन डिकार्बोनाइजेशन वाले उद्योगों के लिए स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं।
   - ये रिएक्टर स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन में मदद करेंगे।

पृष्ठभूमि:

- **वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रस्ताव:**
  - भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR), भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR), और नई परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी का प्रस्ताव किया गया।
- यह पहल भारत के ऊर्जा उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उठाया कदम है।

परमाणु ऊर्जा:

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन परमाणु विखंडन (nuclear fission) द्वारा किया जाता है।

- इस प्रक्रिया में, यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तत्वों के नाभिक को विभाजित किया जाता है।
- नाभिक के विभाजन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो गर्मी के रूप में होती है।

1. **ऊर्जा का उपयोग:**
   - उत्पन्न होने वाली गर्मी का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
   - यह भाप टर्बाइनों को घुमाती है, जो बिजली का उत्पादन करती है।
2. **कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत:**
   - परमाणु ऊर्जा संयंत्र बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।
   - यह एक कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व:

1. **संसाधन एकत्रण (Resource Mobilization):**
   - निजी क्षेत्र भारत की परमाणु ऊर्जा अवसंरचना में निवेश आकर्षित कर सकता है।
   - संसाधनों के संकेंद्रण से अर्थव्यवस्था में लाभ प्राप्त हो सकता है।
   - भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा के लिए $26 बिलियन का निवेश आकर्षित करना है।
2. **प्रौद्योगिकी में उन्नति और नवाचार:**
   - निजी निवेश अत्याधुनिक अनुसंधान में मदद कर सकता है।
   - छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और उन्नत कूलिंग तकनीकों जैसे नवाचारों को लाने में मदद कर सकता है।
3. **ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition):**
   - निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा और 2070 तक शून्य-कार्बन उत्सर्जन (net-zero emissions) के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए चुनौतियाँ:

1. **कानूनी समस्याएँ:** परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी पर प्रतिबंध है, विशेष रूप से परमाणु संयंत्रों के लाइसेंसिंग में।
2. **दायित्व कानूनों के प्रति अनिश्चितता:** 2010 का 'सिविल लीबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट' (Civil Liability for Nuclear Damage Act) अभी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, जिससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है।
3. **अन्य समस्याएँ:** परमाणु परियोजनाओं की कैपिटल-इंटेन्सिव प्रकृति के कारण उच्च प्रारंभिक लागत।
   - निजी परमाणु संचालन में सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और निरंतर प्रदर्शन की आवश्यकता है।

संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार / Right to Property a Constitutional Right

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित मुआवजे के बिना उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय संपत्ति के स्वामित्व को संविधानिक और मानवाधिकार का हिस्सा मानते हुए लिया गया है।

निर्णय के प्रमुख बिंदु:

1. **संविधानिक आधार (Constitutional Basis):**
   - **अनुच्छेद 300-ए (Article 300-A):**
     - "किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा प्राप्त अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।"
     - यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का अधिकार संरक्षित रहेगा, भले ही यह 44वें संविधान संशोधन, 1978 के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा।
2. **मानवाधिकार पहलू (Human Rights Aspect):**
   - न्यायालय ने यह माना कि एक कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार के समान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को उनके संपत्ति से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता।
3. **मामले का पृष्ठभूमि (Background of the Case):**
   - यह मामला बेंगलुरु-मायसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (BMICP) के लिए भूमि अधिग्रहण विवादों से उत्पन्न हुआ था।
   - भूमि मालिकों को 22 वर्षों से अधिक समय तक मुआवजा नहीं दिया गया था, जो सरकारी देरी और ब्यूरोक्रेटिक कार्यप्रणाली की वजह से हुआ।
4. **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ (Supreme Court's Observations):**
   - न्यायालय ने राज्य अधिकारियों और कर्नाटका औद्योगिक क्षेत्रों विकास बोर्ड (KIADB) के "आलसी रवैये" की आलोचना की।
   - अदालत ने कहा कि इस देरी से भूमि मालिकों के साथ गंभीर अन्याय हुआ है।

संविधानिक प्रावधान: संपत्ति का अधिकार:

1. **अनुच्छेद 300-ए:** संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संविधानिक अधिकार है (44वें संविधान संशोधन, 1978)।
2. **मौलिक अधिकार से हटने का प्रभाव:** पहले व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत उल्लंघन चुनौती देने का अधिकार था। अब इसे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जाती है।
3. **कानूनी प्राधिकरण:** अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति केवल राज्य द्वारा कानूनी प्राधिकरण और उचित प्रक्रिया के तहत ली जा सकती है।
4. **दायरा:** अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक संदर्भ:

1. **प्रारंभिक स्थिति:**
   - पहले, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित था, जो नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार देता था, और अनुच्छेद 31 के तहत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा देने की व्यवस्था थी।
2. **भूमि सुधार कानूनों से तनाव:**
   - भूमि सुधार कानूनों के तहत संपत्ति का पुनर्वितरण करने की कोशिशों के कारण इन प्रावधानों में कई संशोधन किए गए, जिससे इन अधिकारों में कमी आई।
3. **44वें संविधान संशोधन (1978):**
   - 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A को संविधान के भाग XII में जोड़ा गया।

निर्णय का महत्व:

1. **समय पर मुआवजे का उदाहरण:**
   - यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि मुआवजे में देरी संविधानिक गारंटी को कमजोर न करे, खासकर अनुच्छेद 300-A के तहत।
   - यह राज्य अधिकारियों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
2. **महंगाई और देरी का समाधान:**
   - निर्णय महंगाई और पैसों के समय मूल्य के प्रभाव को स्वीकार करता है, और समय पर मुआवजे के महत्व पर जोर देता है।
3. **अनुच्छेद 142 का प्रयोग:**
   - इस निर्णय में असाधारण शक्तियों का उपयोग न्यायपालिका की भूमिका को प्रदर्शित करता है, जो लंबित मामलों में न्याय देने के लिए होती है।

ग्रीन बैंक की आवश्यकता / need for a Green Bank

संदर्भ:

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) और नैचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल इंडिया (NRDC) द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन में भारत में एक ग्रीन बैंक की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उजागर किया गया है।

ग्रीन बैंक के बारे में:

1. **मिशन-प्रेरित संस्थाएँ:**
   - ग्रीन बैंक ऐसे संस्थान होते हैं जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए फंडिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
2. **सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, या गैर-लाभकारी संस्थाएँ:**
   - ये संस्थाएँ सार्वजनिक और निजी पूंजी का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सके।
3. **महंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सस्ती वित्तीय मदद के बीच की खाई को भरना:**
   - ग्रीन बैंक का उद्देश्य महंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें साकार किया जा सके।

ग्रीन बैंक की आवश्यकता:

1. **अधिकारियों द्वारा की गई विस्तृत अध्ययन:**
   - काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल इंडिया (NRDC) द्वारा की गई एक विस्तृत अध्ययन ने भारत में ग्रीन बैंक की आवश्यकता को उजागर किया है।
2. **वाणिज्यिक बैंकों के उच्च ब्याज दर और संक्षिप्त अवधि:** सामान्यत: वाणिज्यिक बैंक उच्च ब्याज दरों पर और कम अवधि के लिए क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की प्रकृति के साथ मेल नहीं खाते।
3. **विकसित देशों की तुलना में उच्च ब्याज दरें:** विकासशील देशों के निवासियों के लिए, जहाँ ब्याज दरें विकसित देशों की तुलना में अधिक होती हैं, सस्ती क्रेडिट प्राप्त करना कठिन होता है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में निवेश आकर्षित नहीं हो पाता।
4. **विदेशी स्रोतों से सस्ती ऋणों का प्राप्त करना:** इससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सस्ते ऋणों के लिए विदेशों से ऋण लेना पड़ता है, जो अंतत: पूंजी पलायन और पुनर्निवेश की कमी का कारण बनता है।
5. **भारत में सस्ती क्रेडिट स्रोत की आवश्यकता:** यदि भारत में एक सस्ती क्रेडिट स्रोत उपलब्ध हो, तो यह दीर्घकालिक सतत वित्तीयता को सुनिश्चित करेगा।

COP29 की मुख्य उपलब्धि और कमी

1. **आश्वासन दिया गया जलवायु वित्त:**
   - विकसित देशों ने विकासशील देशों को प्रति वर्ष $300 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान करने का आश्वासन दिया।
2. **ग्लोबल साउथ की मांग:**
   - ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) ने $1.3 ट्रिलियन वार्षिक जलवायु वित्त की मांग की थी, जो आश्वासन की गई राशि से काफी अधिक है।
3. **अंतर की चुनौती:**
   - यह अंतर दर्शाता है कि विकसित देशों और विकासशील देशों की जलवायु वित्त आवश्यकताओं और प्रतिबद्धताओं के बीच बड़ा असंतुलन है।

ग्रीन बैंक कैसे काम करते हैं?

1. **पूंजी जुटाना:** ग्रीन बैंक सरकारी अनुदान, पर्यावरण सेस (cess), और ग्रीन बॉन्ड जारी करके धन जुटाते हैं।
2. **लक्षित ऋण:** ये बैंक उन स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करते हैं जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं और जिनकी पुनर्भुगतान क्षमता सुनिश्चित है।
3. **बाजार विकास:** ग्रीन बैंक ऐसे अवसरों की पहचान करते हैं और उनका वित्तपोषण करते हैं, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ अधिकतम हो।
4. **पुनर्निवेश चक्र:** वापस लौटे हुए धन को नई ग्रीन परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे एक आत्मनिर्भर वित्तपोषण चक्र बनता है।

ग्रीन बैंक के लाभ:

1. **डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य:** ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सस्ती वित्तीय सहायता देकर 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य में मदद।
2. **सस्ता वित्तपोषण:** कम ब्याज और दीर्घकालिक ऋण।
3. **निवेश आकर्षण:** घरेलू-विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
4. **पूंजी संरक्षण:** विदेशी ऋण की जरूरत घटाकर निवेश भारत में बनाए रखना।
5. **नवाचार बढ़ावा:** ग्रीन तकनीक और स्टार्टअप्स को सहयोग।

ग्रीन जीडीपी / Green GDP

संदर्भ:

छत्तीसगढ़ ने एक नवीन योजना शुरू की है, जो अपने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ती है।

उद्देश्य

1. वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं जैसे स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता को राज्य की आर्थिक प्रगति से जोड़ना।
2. छत्तीसगढ़ के 44% भूमि क्षेत्र को कवर करने वाले वनों की जलवायु परिवर्तन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना।
3. तेंदू पत्ता, लाख, शहद और औषधीय पौधों जैसे वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना।

ग्रीन जीडीपी क्या है?

ग्रीन जीडीपी एक ऐसा आर्थिक सूचकांक है जो देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापने का प्रयास करता है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखता है।

ग्रीन जीडीपी के मुख्य बिंदु:

1. **परिभाषा:** ग्रीन जीडीपी, पारंपरिक जीडीपी से आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय नुकसान को घटाकर तैयार किया जाता है।
2. **पर्यावरणीय लाभ शामिल:** इसमें पर्यावरणीय लाभों का मूल्य जोड़ा जाता है, जैसे जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (स्वच्छ वायु, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता)।
3. **उद्देश्य:** यह पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास को आर्थिक नीतियों में शामिल करने का एक प्रयास है।

ग्रीन जीडीपी लेखांकन के लिए पहल:

1. **SEEA (System of Environmental Economic Accounting):**
   - **परिचय:** 1993 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आँकड़े तैयार करने के लिए SEEA प्रणाली शुरू की।
   - **उद्देश्य:** पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन को मानकीकृत करने और विभिन्न देशों के बीच डेटा की तुलना को आसान बनाना।
2. **WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services):**
   - **परिचय:** यह विश्व बैंक की एक पहल है जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्यांकन को राष्ट्रीय आर्थिक खातों में शामिल करती है।
   - **उद्देश्य:** सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पूंजी का मापन और मूल्यांकन।

ग्रीन जीडीपी के लाभ:

1. **वनों के अप्रत्यक्ष लाभों को पहचानना:**
   - पारंपरिक जीडीपी में अनदेखे लाभ, जैसे जलवायु विनियमन और मृदा समृद्धि, को मान्यता देता है।
2. **आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन:**
   - आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय स्थायित्व के बीच समझौतों को उजागर करता है।
3. **पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना:**
   - ऐसी नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो पर्यावरणीय नुकसान को कम करें और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दें।
4. **उच्च पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान:**
   - लक्षित हस्तक्षेप के लिए अधिकतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने में मदद करता है।

ग्रीन जीडीपी की चुनौतियाँ:

1. **मूल्यांकन की जटिलता:**
   - गैर-बाजार पर्यावरणीय लाभों (जैसे, जैव विविधता) का मौद्रिक मूल्यांकन करना कठिन है।
2. **डेटा की कमी:**
   - पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर विश्वसनीय और व्यापक डेटा की कमी।
3. **कार्यान्वयन की समस्याएँ:**
   - ग्रीन जीडीपी को अपनाने के लिए लेखांकन ढाँचों और नीति निर्माण में बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है।

ट्रांसजेंडरों के लिए संशोधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र / Revised Birth & Death Certificates for Transgenders

संदर्भ:

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संशोधित या बदले हुए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करें।

उद्देश्य:

1. संशोधित प्रमाणपत्रों में व्यक्ति का वर्तमान नाम और लिंग दर्शाना, साथ ही पूर्व नाम और लिंग को भी शामिल करना।
2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन होने तक लिंग परिवर्तन के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों में बदलाव की प्रक्रिया लागू करना।

ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स की सुरक्षा) एक्ट, 2019:

- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "पहचान प्रमाणपत्र" प्राप्त करने की अनुमति देता है (धारा 6), और लिंग-पुनर्निर्माण सर्जरी के बाद इसे संशोधित करने की अनुमति देता है (धारा 7)।
- यह अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि इस प्रमाणपत्र पर दर्ज लिंग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देना चाहिए।
- यह जन्म प्रमाणपत्र और अन्य पहचान दस्तावेजों में पहले नाम और लिंग को इस प्रमाणपत्र के आधार पर बदलने की स्पष्ट अनुमति देता है।

2020 नियमों और प्रक्रियाएँ:

- **ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स की सुरक्षा) नियम, 2020** इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं।
- इन नियमों में उन आधिकारिक दस्तावेजों की सूची भी शामिल है जिन्हें संशोधित किया जा सकता है, जिसमें "जन्म प्रमाणपत्र" पहले स्थान पर है।

केस का पृष्ठभूमि: मिस X बनाम राज्य कर्नाटक (2024):

- **प्रारंभिक मामला:**
  मिस X को लिंग असंतोष (Gender Dysphoria) का निदान हुआ था और उन्होंने लिंग-पुनर्निर्माण सर्जरी करवाई। इसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक दस्तावेजों को अपनी लिंग पहचान के अनुसार अपडेट करने के लिए अपना नाम बदल दिया।
- **दस्तावेज़ों का अद्यतन:**
  मिस X ने अपनी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को सफलतापूर्वक अपडेट किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जन्म प्रमाणपत्र पर नाम और लिंग बदलने के लिए आवेदन किया, तो उन्हें अस्वीकृति मिली।

पंजीकरण अधिकारी का अस्वीकृति:

- **कारण:** मंगलौर के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी ने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया, इस आधार पर कि **"रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, 1969"** की धारा 15 के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र में केवल तभी बदलाव किया जा सकता है जब जानकारी "गलत" या "धोखाधड़ी से या गलत तरीके से" दर्ज की गई हो।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती:

- **याचिका:** याचिकाकर्ता ने धारा 15 के संकीर्ण व्याख्या को चुनौती दी, यह तर्क करते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके "सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।
  उन्होंने यह भी कहा कि असंगत दस्तावेज़ों के कारण उन्हें "द्वैध जीवन" जीना पड़ता है, जो उन्हें उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार बनाता है।

पात्रता मानदंड:

- **लिंग पहचान:** व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करनी होगी और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास शपथपत्र दाखिल करना होगा।
- **लिंग-पुनर्निर्माण सर्जरी के बाद बदलाव:** इसके लिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक से एक चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक है।

बदलाव की प्रक्रिया:

1. **पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:**
   - लिंग पहचान घोषित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास शपथपत्र जमा करें।
   - DM द्वारा 30 दिनों के भीतर पहचान प्रमाण पत्र और ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड जारी किया जाएगा।
2. **सर्जरी के बाद संशोधित पहचान प्रमाण पत्र:**
   - एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
   - DM के पास संशोधन के लिए आवेदन करें, जो 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया की जाएगी।
3. **आधिकारिक दस्तावेज़ों में अपडेट:**
   - पहचान प्रमाण पत्र को आधार, पासपोर्ट, या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों में बदलाव के लिए संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत करें।
   - आवेदन के 15 दिनों के भीतर बदलाव को लागू किया जाना चाहिए।

मानव मेटान्यूमोवायरस / Human Metapneumovirus (HMPV)

संदर्भ:
चीन में मानव मेटाप्नेयूमोवायरस (HMPV) मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिससे कोविड-19 महामारी के बाद एक और स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, चीनी अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अभी तक आपातकाल घोषित नहीं किया है।

मानव मेटाप्न्यूमोवायरस (HMPV) के बारे में:

परिचय

- **परिवार:** HMPV एक **श्वसन तंत्र वायरस** है, जो **प्न्यूमोविरिडे परिवार** से संबंधित है। यह आमतौर पर **सामान्य जुकाम** जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है।
- **संबंधित वायरस: इस** परिवार में **RSV, खसरा और मंप्स** भी शामिल हैं।
- **मौसम:** यह संक्रमण **सर्दियों और शुरुआती वसंत** में अधिक देखा जाता है।

खोज और संवेदनशीलता:

- **खोज:** इसे 2001 में **बर्नाडेट जी. वैन डेन हूजेन** ने नीदरलैंड में बच्चों की श्वसन नली से खोजा।
- **संवेदनशील समूह:**
    - **बच्चे** और **बुजुर्ग**।
    - कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति (जैसे HIV मरीज)।
    - बच्चों में 10% से 12% श्वसन बीमारियों का कारण।

लक्षण और संक्रमण काल:

- **लक्षण:**
    - खांसी, नाक बहना या बंद होना।
    - गला दर्द, बुखार और सांस लेने में सीटी जैसी आवाज।
- **इन्क्यूबेशन पीरियड:** संक्रमण के लक्षण **3 से 6 दिनों** में दिखाई देते हैं।

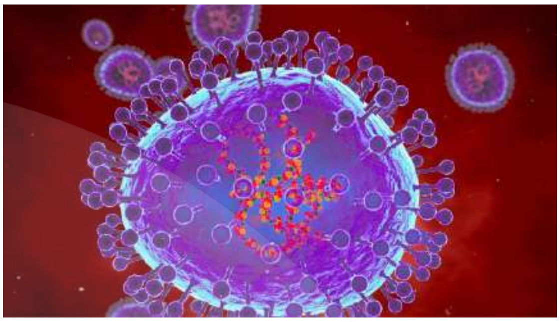

संक्रमण का प्रसार:

- **कैसे फैलता है:**
    - संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से (खांसी, छींक, या छूने से)।
    - **दरवाजे के हैंडल, फोन या कीबोर्ड** छूने से।
    - **हाथ मिलाना या गले लगना**।

जटिलताएं:

गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। यह निम्न समस्याओं का कारण बन सकता है:

- **ब्रोंकियोलाइटिस**।
- **ब्रोंकाइटिस और निमोनिया**।
- **अस्थमा** या **COPD का बढ़ना**।
- **कान का संक्रमण (ओटाइटिस मीडिया)**।

इलाज और रोकथाम:

- **इलाज:**
    - अभी तक इसका कोई **टीका** या विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है।
    - **ओवर-द-काउंटर दवाएं** बुखार और दर्द कम करने में मदद करती हैं।
    - एंटीबायोटिक्स इस पर असरदार नहीं हैं।
- **रोकथाम:**
    - **हाइजीन का पालन करें:** हाथ धोना, छींकते समय मुंह ढकना और साफ-सफाई बनाए रखना।
    - **दूरी बनाए रखें:** संक्रमित व्यक्ति के करीब न जाएं।
    - **सावधानी बरतें:** अस्थमा और COPD वाले लोग अतिरिक्त सावधानी रखें।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
APNI PATHSHALA
UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES
UPPSC
(TEST SERIES)
• 35+ MOCK TESTS
• 40+ PYQ'S
• 180+ TOPIC WISE TEST
• 60+ CURRENT AFFAIRS
299/- YEAR
RO/ARO
(TEST SERIES)
• 50+ MOCK TESTS
• 30+ PYQ'S
• 10+ TOPIC WISE TEST
• 65+ CURRENT AFFAIRS
299/- YEAR
BPSC
(TEST SERIES)
• 50+ MOCK TESTS
• 30+ PYQ'S
• 10+ TOPIC WISE TEST
• 65+ CURRENT AFFAIRS
299 YEAR
SSC (TEST SERIES)
• 30 MOCK TESTS
• 28+ YEAR PYP
• 12 SECTIONAL TEST
• 60+ CURRENT AFFAIRS
99/- YEAR
RPF (TEST SERIES)
• 40 MOCK TESTS
• 2 YEAR PYQ'S
• 4 SECTIONAL TEST
• 10 PRACTICE TEST
• 60 CURRENT AFFAIRS
99/- YEAR
Download | Application
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
Avasthiankit
AnkitAvasthiSir
kaankit
ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE
FOUNDATION BATCH
FOR ALL
POLITY
ECONOMICS
HISTORY
GEOGRAPHY
LIVE
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Rs
4999/-
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

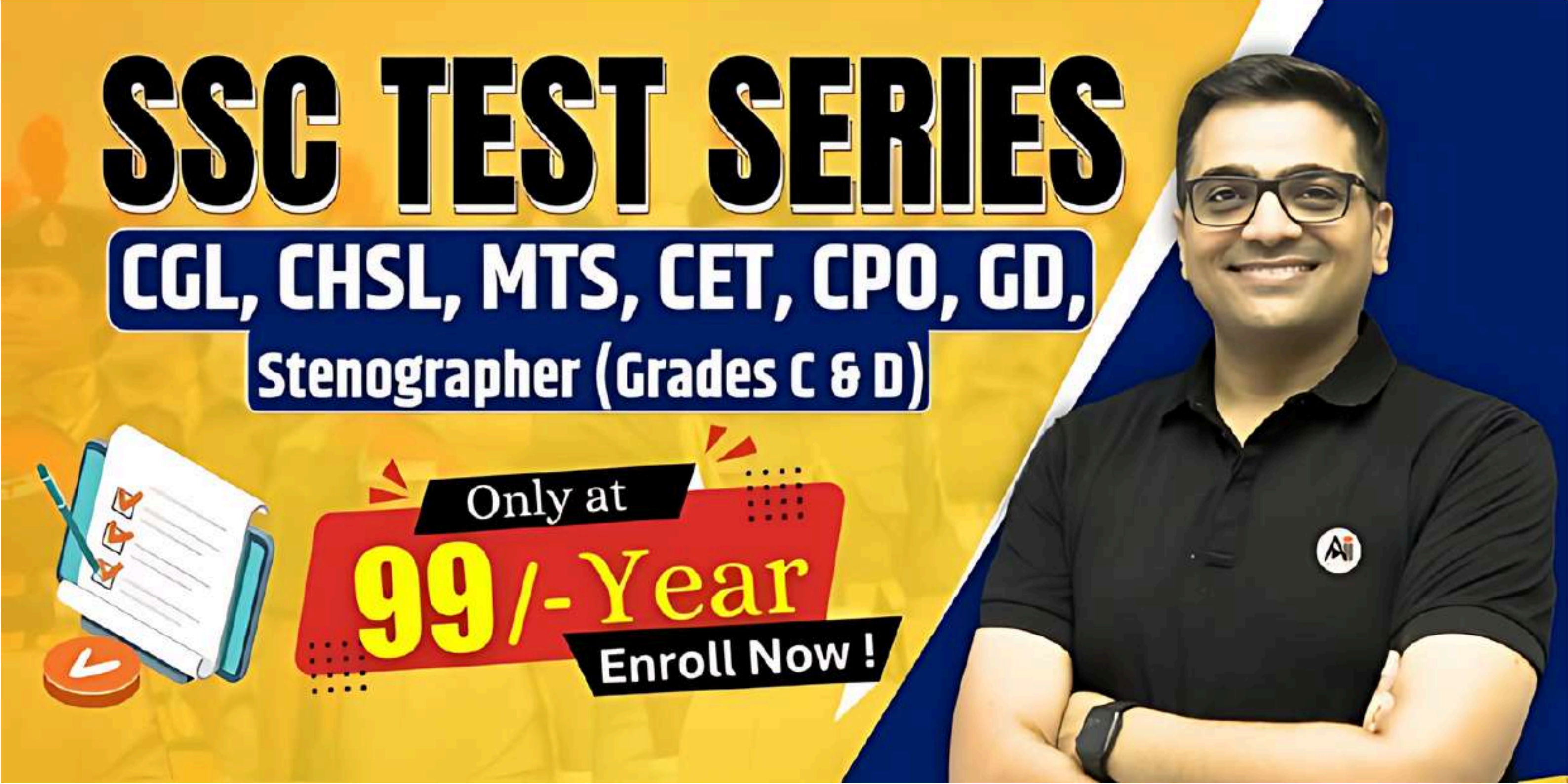

SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !